COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 (x3)

(85)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय केम्प इन्दौर ::

नि 2064-PBR/16

01 उम्मेदसिह पिता पुजा बलाई,
02 रामाजी पिता चमनाजी सिर्वी,
03 जुवानसिंह पिता बाथु भील,
04 शिवनारायण पिता कन्हैयालाल कलाल
05 सुरेश पिता कन्हैयालाल कलाल
06 मुन्ना पिता दलाजी सिर्वी
07 भुपेन्द्र पिता कालु सिर्वी,
08 बाबु पिता पुनाजी सिर्वी
09 नारायण पिता चेना सिर्वी
10 शंकर पिता धन्नाजी सिर्वी
11 किसन पिता धन्नाजी सिर्वी,
12 प्रदुम पिता दुदीया बलाई
13 सुनिल पिता छगन चमार,
14 चम्पालाल पिता गोकुल चमार
15 गंगाराम पिता गोकुल चमार

सभी निवासी ग्राम दुगावा तहसील कुक्षी
जिला धार मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

382/19.5-2016
कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री राहुल शर्मा ......
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 19/05/2016
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्व

लक्ष्मण पिता बाला सिर्वी निवासी
ग्राम दुंगावा तहसील कुक्षी जिला धार ---अनावेदक

विपयः– पुनरिक्षण धारा 50 मध्य प्रदेश भु राजस्व संहिता के अंतर्गत

माननीय महोदय,

सेवामे आवेदकगण की और से निम्नानुसार रिव्हीजन प्रस्तुत है :–

अनावेदक द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय कुक्षी के समक्ष सीमाकन हेतु आवेदनपत्र धारा 129 मध्य प्रदेश भु राजस्व संहिता के अतर्गत प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण कमांक 10/अ–12/2015–16 पर दर्ज होकर ,उक्त प्रकरण मे माननीय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा हलका पटवारी एवं राजस्व निरिक्षक को सीमाकन कर पंचनामा एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया था।

---2---पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2064—पीबीआर/16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18—1—2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कुक्षी जिला धार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—1—2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश व सीमांकन कार्यवाही के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा संहिता के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत् प्रकिया का पालन कर सीमांकन कार्यवाही की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	